

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-80/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० आर अजमत निसार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण के प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-16.03.2026 से 11.09.2026 तक कुल-180 (एक सौ अरसी) दिनों के उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-80/2026-

1251(2)

पटना, दिनांक 10/6/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण/अधीक्षक, सदर अस्पताल, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण/डा० आर अजमत निसार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. M. K. 8/6/26
सरकार के उप सचिव।